न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

प्रकरण संख्या – 35/2019 (अपील)

GCMS No. 2019/00123

शम्भूदयाल आत्मज माधोलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भीमपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

——अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

——रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी आदेश दिनांक 07.03.2019 मि0नं0 187/2018 तहसीलदार रामगंजमण्डी कार्यवाही धारा 91 भू रा0 अधि0

उपस्थिति

1. श्री बी0सी0 मालवीय, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री बृजराज सिंह चौहान, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः–02.03.2021

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी कोटा ने ग्राम भीमपुरा की भूमि खसरा नम्बर 97 की 1.00 हे0 में अतिक्रमण की रिपोर्ट पटवारी हल्का के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए प्रकरण संख्या 187/2018 दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि से बेदखल किया जाकर 150/– रूपये का शास्ति व एक माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करते हुए दिनांक 07.03.2019 को निर्णय पारित किया है।

2. उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 03.04.2019 को पेश की गई है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानते हुये विवादग्रस्त आराजी खसरा सं. 97 रकबा 1.00 हेक्टयर भूमि किस्म बंजड ग्राम भीमपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा पर अतिक्रमी घोषित करते हुए जुर्माने से दण्डित किया है । अधिनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय एक तरफा है जिसमें अप्रार्थी अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य समर्थन प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है, इस प्रकार अधिनस्थ

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

न्यायालय का निर्णय विधि के सर्वमान्य सिद्वांतों के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर अप्रार्थी अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में रखा जावें । उक्त विवादग्रस्त भूमि बंजड भूमि है जिसको प्रार्थी द्वारा काफी खर्चा कर काबिल काश्त बनाया तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के मुताबिक शास्ति की राशि 150/– एवं पूर्व बकाया शास्ति 14916/– दिनांक 22.3.2019 को पटवारी ग्राम गोयन्दा के यहां जमा कर रसीद प्राप्त कर ली है । अब अप्रार्थी अपीलान्ट के विरूद्व किसी भी प्रकार की शास्ति बकाया नहीं है । लेकिन इन तथ्यों पर गोर न करते हुये अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में भारी भूल की है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय को निर्णय खारिज योग्य है । अप्रार्थी अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा सं. 97 रकबा 1.00 हे0 वाके ग्राम भीमपुरा पर कोई कब्जा काश्त नहीं है । आराजी पर कब्जा राज लिया जा चुका है, इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी अपीलांट को एक तरफा आदेश पारित करते हुये दण्डादेश एवं सिविल कारावास से दण्डित करने में कानूनी त्रुटि की , निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। पेरोकार सरकार उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील अपील मेमो में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय एक तरफा है जिसमें अप्रार्थी अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य समर्थन प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है, इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि के सर्वमान्य सिद्वांतों के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर अप्रार्थी अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में रखा जावें ।उक्त विवादग्रस्त भूमि बंजड भूमि है जिसको प्रार्थी द्वारा काफी खर्चा कर काबिल काश्त बनाया तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के मुताबिक शास्ति की राशि 150/– एवं पूर्व बकाया शास्ति 14916/– दिनांक 22.3.2019 को पटवारी ग्राम गोयन्दा के यहां जमा कर रसीद प्राप्त कर ली है । अब अप्रार्थी अपीलान्ट के विरूद्व किसी भी प्रकार की शास्ति बकाया नहीं है । लेकिन इन तथ्यों पर गोर न करते हुये अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में भारी भूल की है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय को निर्णय खारिज योग्य है । अप्रार्थी अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा सं. 97 रकबा 1.00 हे0 वाके ग्राम भीमपुरा पर कोई कब्जा काश्त नहीं है । आराजी पर कब्जा राज लिया जा चुका है, इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी अपीलांट को एक तरफा आदेश पारित करते हुये दण्डादेश एवं सिविल कारावास से दण्डित करने में कानूनी त्रुटि की , निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है ।

5. पेरोकार सरकार ने अपनी बहस मे कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी ली जाकर प्रकरण दर्ज कर नोटिस पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दिया

Scanned by CamScanner

है। रिपोर्ट पटवारी से अतिक्रमण, पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी व बहस पर मनन किया। न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.03.2019 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 03.04 2019 को पेश की गई जो अन्दर मियाद है ।

7. अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश की है कि शम्भूदयाल आत्मज माधोलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भीमपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ने ग्राम भीमपुरा की सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 97 रकवा 1.00 हैक्टेयर में अनाधिकृत कब्जा काश्त किया है। इनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे। रिपोर्ट पटवारी के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अर्न्तगत दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि के बावत पश्चातवर्ती का नोटिस जारी किया जाकर उसे बेदखल करते हुए 150/– रूपये का जुर्माना तथा पश्चावर्ती अतिक्रमी मानते हुए 01 माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है।

8. अपीलान्ट ने विवादित आराजी से कब्जा हटाया जाना और तावान जमा कर दिया जाना तथा भविष्य में भी उपरोक्त भूमि पर कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए तत्पर होना बताया है। ऐसी स्थिति में अपील आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि यदि अपीलांट ने विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया हो, तावान जमा करा दिया हो तथा भविष्य में कब्जा नहीं करने बाबत अन्डरटेकिंग अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दे तो इस स्थिति में सिविल कारावास का दण्ड निरस्त किया जाता है । शेष आदेश बाबत बेदखली एवं तावान कायमी यथावत रखा जाता है।

10. निर्णय आज दिनांक 02.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner